प्रारूप-छ (संलग्नक-6)

अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र (पूर्णता (कम्प्लीशन) अनापत्ति प्रमाणपत्र)

यूआईडी संख्या : UPFS/2026/219817/FTP/FATEHPUR/1443/CFO
दिनांक : 24-09-2026

प्रमाणित किया जाता है कि मेसर्स **THE OAK PUBLIC SCHOOL** पता **GATA NO. 2115 COLLECTORGANJ,BANDA SAGAR ROAD,FATEHPUR** तहसील - **SADAR** प्लाट एरिया **6155.00 sq.mt** (वर्गमीटर), कुल कवर्ड एरिया **2838.0** (वर्ग मीटर), **ब्लाकों** की संख्या - **1** जिसमे -

ब्लॉक/टावर	प्रत्येक ब्लाक में तलों की संख्या	बेसमेन्ट की संख्या	ऊँचाई
A	3	0	10.95 mt.

है। भवन का अधिभोग मेसर्स **THE OAK PUBLIC SCHOOL** द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा भवन में अग्नि निवारण एवं अग्नि सुरक्षा **व्यवस्थाए**, एन0बी0सी0 एवं तत्संबंधी भारतीय मानक ब्यूरो के आई0एस0 के अनुसार भवन में स्थापित करायी गयी **व्यवस्थाओं** का निरीक्षण द्वारा दिनांक **28-09-2026** को भवन स्वामी/भवन स्वामी के प्रतिनिधि **श्री ROHITABH SOLANKI Mobile No. : 9839715111** के साथ किया गया। भवन में अधिस्थापित अग्नि सुरक्षा **व्यवस्थाएं** मानकों के अनुसार अधिस्थापित पायी गयी। अतः **प्रश्नगत** भवन को अग्नि सुरक्षा **प्रमाणपत्र** (फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट) एन0बी0सी0 की अधिभोग श्रेणी **Educational** के अन्तर्गत वैधता तिथि **28-09-2026** से **27-09-2031** तक **5** वर्षों के लिए इस शर्त के साथ निर्गत किया जा रहा है कि भवन में नियमानुसार स्थापित सभी अग्निशमन **व्यवस्थाओं** का अनुरक्षण करते हुए क्रियाशील बनाये रखा जायेगा। भवन में स्थापित की गयी अग्निशमन **व्यवस्थाओं** में पायी गयी कमी के कारण किसी भी घटना के लिए मेसर्स **THE OAK PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें। निर्गत अग्नि सुरक्षा **प्रमाणपत्र** का नवीनीकरण निर्धारित समयावधि के **अन्दर** न कराये जाने पर निर्गत अग्नि सुरक्षा **प्रमाणपत्र** स्वतः ही निरस्त मान लिया जायेगा, जिसके लिए मेसर्स **THE OAK PUBLIC SCHOOL** अधिभोगी पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा/होगें।

Note : fsso की संस्तुति आख्या पर शासन की ईज ऑफ डुइंग विजनेस नीति की तहत निम्न उपबन्धो के अधीन निर्गत हैं। 1-अर्ह अभिकर्ता से वर्ष के जनवरी व जुलाई माह में कार्यशीलता **प्रमाण-पत्र** इस विभाग को अनिवार्य रूप से प्रेषित करें 2- अर्ह एजेन्सी से विद्युत सुरक्षा ऑडिट करा लें। 3-प्रस्तावित द्वितीय तल का निर्माण होने के उपरांत / अधिभोग से अग्निशमन **व्यवस्थाए** करा ली जाये। 4-नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्र की शर्तो तथा कभी भी अग्नि सुरक्षा मानको की अवहेलना किए जाने पर निर्गत प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त समझा जाय। 5- अर्ह अभिकर्ता से ही फायर उपकरणों की वार्षिक मरम्मत कराये।6-शा0 दि0 07.01.22 के अधीन निर्गत है।

"यह प्रमाण-पत्र आपके द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों , सूचनाओं के आधार पर निर्गत किया जा रहा है । इनके असत्य पाए जाने पर निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य नहीं होगा । यह प्रमाण-पत्र भूमि / भवन के स्वामित्व / अधिभोग को प्रमाणित नहीं करता है ।"

मुख्य अग्निशमन अधिकारी
(डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित)
JASVEER SINGH
EDEEA6B633DD31351A44A1A468E0667BF859F193
28-09-2026

निर्गत किये जाने का दिनांक : 28-09-2026
स्थान : FATEHPUR

Note:- Kinldy check the authentication of NOC by verifying the UID at departmental portal of UP Fire Service.

The Oak Public School
Principal

The Oak Public School
Rohitabh Solanki
Manager